

कार्यालय— प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सागर (म.प्र.)
कार्य विभाजन आदेश

क्रमांक—**33** (एक-दो-01)07

सागर, दिनांक **१०/०४/२०२४**

मैं महेश कुमार शर्मा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सागर (म.प्र.) सिविल कोर्ट अधिनियम, 1958 की धारा 15 की उपधारा (1) एवं धारा 21 (4) तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 194, 381 (2) और धारा 400 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस संबंध में पूर्व में प्रसारित समस्त आदेशों को अधिष्ठित (सुपररेसेशन) करते हुए, इस न्यायिक जिला सागर में पदस्थ उच्चतर न्यायिक रोका के समस्त न्यायाधीशों के मध्य सिविल एवं दाइडक कार्यों का तथा अन्य न्यायाधीशों के मध्य सिविल कार्य का विभाजन निम्नानुसार करता हूं। यह आदेश दिनांक—**१०/०४/२०२४** से प्रभावशील होगा, परन्तु इस कार्य विभाजन के प्रभावशील होने के पूर्व जो कार्य एवं प्रकरण जिस न्यायालय के न्यायाधीशों के पास लंबित हैं या प्रस्तुत हुआ है, उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

	न्यायालय का नाम व स्थान (02)	क्षेत्राधिकार (03)	प्रकरण का प्रकार, जिनकी सुनवाई कर निराकरण किया जाना है। (04)
1.	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं सदस्य बोर्ड दुर्घटना दावा अधिकरण सागर (सागर सत्र खण्ड) श्री महेश कुमार शर्मा	सत्र खण्ड सागर	<p style="text-align: center;">आपराधिक प्रकरण</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. सत्र खण्ड सागर से उत्पन्न समस्त प्रकार के सत्र प्रकरण, दाइडक अपीलें, दाइडक पुनरीक्षण, विविध दाइडक प्रकरण, जमानत आवेदन पत्र 2. धारा 408 एवं 409 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अधीन आवेदन पत्र 3. धारा 438 एवं 439 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अधीन प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र 4. मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के अंतर्गत प्रकरण 5. सती (निवारण) अधिनियम, 1987 के अंतर्गत प्रकरण 6. किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2000 एवं 2015 से उदूत अपील प्रकरण 7. याम न्यायाधिकारी, याम न्यायालय, सागर के आदेशों से उत्पन्न अपील। (याम न्यायालय—खुराइ को छोड़कर) 8. खाता सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अधीन निर्णयक अधिकारी द्वारा पारित समस्त निर्णय/आदेशों से उत्पन्न अपील। 9. ऐसे अन्य समस्त प्रकार के आपराधिक प्रकरण जो अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा विचारित हों एवं जिनका उत्सेख कार्य-विभाजन पत्रक में ना हो। <p style="text-align: center;">व्यवहार प्रकरण</p> <p>10. नियमित सिविल दाव प्रकरण जो रूपये 75,00,000.00/- अंकन रूपये पचहत्तर करोड़</p>

- से अधिक मूल्य के हों, तथा उनसे उत्पन्न होने वाले विविध एवं निष्पादन कार्यवाहियां तहसील खुरई, बीना, रहली, बण्डा, देवरी, गढ़ाकोटा, शाहगढ़, केराली एवं मालथीन को छोड़कर
11. जिला मुख्यालय सागर से संबंधित सभी नियमित व्यवहार अपील एवं विविध व्यवहार अपील जो कि व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड/कनिष्ठ खण्ड सागर द्वारा पारित निर्णय आदेशों से उत्पन्न हुई हों।
 12. पुलिस आरक्षी केन्द्र केन्टोनमेंट सागर, बहेरिया, सिविल लाईन, मकरोनिया, गोपालगंज, राहतगढ़, जैसीनगर, कोतवाली, सुरखी, मोतीनगर, नरयाबली एवं सानीधा के थाना क्षेत्र से उद्भूत समस्त मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण एवं उनसे उत्पन्न प्रवर्तन एवं विविध कार्यवाहियां।
 13. समस्त व्यवहार न्यायाधीशगण वरिष्ठ खण्ड एवं कनिष्ठ खण्ड के न्यायालय द्वारा पारित समस्त ऐसे निर्णय एवं डिक्री की अपीलें, जिनमें रवत्त्व घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष शासन के विरुद्ध अथवा किसी स्थानीय निकाय, प्राधिकरण अथवा नगर निगम के विरुद्ध प्रदत्त किया गया हो।
 14. मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 तथा मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1961 के अंतर्गत निर्वाचन याचिकाएँ।
 15. मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 307 उपधारा (5) के अंतर्गत याचिकाएँ।
 16. हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 से उत्पन्न होने वाले सभी प्रकरण (तहसील खुरई, बीना, रहली, बण्डा देवरी, गढ़ाकोटा, शाहगढ़, केराली, मालथीन तथा परिवार न्यायालय सागर के अंतर्गत आने वाले प्रकरणों को छोड़कर)
 17. भारतीय विवाह विक्रेत अधिनियम, 1869 के अंतर्गत समस्त प्रकरण (तहसील खुरई, बीना, रहली, बण्डा देवरी, गढ़ाकोटा, शाहगढ़, केराली, मालथीन तथा परिवार न्यायालय सागर के अंतर्गत आने वाले प्रकरणों को छोड़कर)
 18. जिला मुख्यालय सागर से संबंधित बालकों के देखरेख एवं उनके संरक्षण अधिनियम, 2000 एवं 2015, दलतक ग्रहण अधिनियम के अंतर्गत उत्पन्न अपीलें
 19. न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय सागर द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध अपीलें
 20. मध्य प्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा 24 एवं 26 के अधीन कार्यवाहियां
 21. छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 93 के अधीन अपीलें एवं छावनी निर्वाचन नियम, 2007 के

			<p>नियम 55 के अधीन निवाचन अर्जी।</p> <p>22. तहसील सागर से उत्पन्न भू-अर्जन के अंतर्गत सभी मामले एवं भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में संबंधित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 64 के अंतर्गत आवेदन/निर्देश।</p> <p>23. धारा 24 सिविल प्रक्रिया संहिता, 1906 के अधीन आवेदन पत्र।</p> <p>24. अन्य किसी ऐसे अधिनियम के अधीन सभी प्रकरण (जिला न्यायाधीश स्तर के सुनवायी योग्य), जिनका उल्लेख इस कार्य विभाजन पत्रक में ना हो।</p>
2.	विशेष न्यायाधीश सागर अंतर्गत एस.सी./एस.टी. एक्ट श्री प्रदीप सोनी	सत्र खण्ड सागर	<p>आपराधिक प्रकरण</p> <ol style="list-style-type: none"> संपूर्ण सत्र खण्ड सागर के संबंधित एस.सी./एस.टी. एक्ट, 1989 के अंतर्गत समस्त विशेष प्रकरण एवं उनसे संबंधित विविध न्यायिक कार्यवाहियाँ एवं जमानत संबंधी आवेदन पत्र। नोट—जमानत एवं रिमाण्ड सीधे (विशेष न्यायालय के द्वितीय अंतर्गत) प्रस्तुत होकर उनके बहां पंजीकरण किये जावेंगे। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सागर द्वारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण
3.	विशेष न्यायाधीश सागर अंतर्गत भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम एवं प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश सागर, प्रथम सदस्य मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण श्री आलोक भिश्मा	सत्र खण्ड सागर	<p>आपराधिक प्रकरण</p> <ol style="list-style-type: none"> ऐसे सत्र प्रकरण, दापिङ्डक अपीलें, दापिङ्डक पुनरीक्षण, विविध दापिङ्डक प्रकरण एवं जमानत संबंधी आवेदन पत्र जो सत्र न्यायाधीश द्वारा अंतरित किये जावें। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अंतर्गत समस्त प्रकरण एवं उनसे संबंधित विविध कार्यवाहियाँ एवं जमानत संबंधी आवेदन पत्र।
4.	द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश एवं द्वितीय सदस्य मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण सागर	जिला मुख्यालय सागर	रिक्त न्यायालय
5.	तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश एवं तृतीय सदस्य मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण सागर श्रीमति नीलम शुक्ला	सत्र खण्ड सागर	<p>आपराधिक प्रकरण</p> <ol style="list-style-type: none"> सत्र प्रकरण, दापिङ्डक अपीलें, दापिङ्डक पुनरीक्षण, विविध दापिङ्डक प्रकरण एवं जमानत संबंधी आवेदन पत्र जो सत्र न्यायाधीश द्वारा अंतरित किये जावें। जिला मुख्यालय के पुलिस आरक्षी केन्द्र सिविल लाईन, बहेरिया, नरसावली, जैसीनगर, कोतावाली, मकरोनिया, सुरखी एवं गोपालगंज से उद्भूत होने वाले रेप, गैंग रेप, रेप विद मर्डर एवं उससे संबंधित अन्य प्रकरण एवं उनसे संबंधित विविध कार्यवाहियाँ।

			<p>3. उच्च न्यायालय म0प्र0 जबलपुर की अधिसूचना क्रं ए/1806/ ।।।-6-5/2010 (एफ.टी.एस. सी.एस.) सी.एस.एस. जबलपुर दिनांक 14.04.2022 के अनुक्रम में आरक्षी केन्द्र फ़ेण्ट, मोतीनगर, राहतगढ़, सुरक्षी एवं सानीधा से संबंधित लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के अंतर्गत रिमाण्ड स्तर से समस्त कार्यवाहिया जमानत याचिका सहित।</p> <p>4. तहसील खुरई, बीना, गढ़ाकोटा, मालथीन एवं केसली से संबंधित एसरी / एसटी (पी0ए0) एवट 1989 के साथ लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2021 के सभी विशेष मामले व उनसे संबंधित रिमाण्ड स्तर से समस्त कार्यवाहिया जमानत याचिका सहित।</p> <p style="text-align: center;">व्यवहार प्रकरण</p> <p>5. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले सिविल प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियाँ</p>
6.	चतुर्थ जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश एवं चतुर्थ सदस्य मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण सागर श्रीमति नेहा श्रीवास्तव	जिला मुख्यालय सागर	<p style="text-align: center;">आपराधिक प्रकरण</p> <p>1. सत्र प्रकरण, दाइडक अपीलें, दाइडक पुनरीक्षण, विविध दाइडक प्रकरण एवं जमानत संबंधी आवेदन पत्र जो सत्र न्यायाधीश द्वारा अंतरित किये जावें।</p> <p style="text-align: center;">व्यवहार प्रकरण</p> <p>2. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले सिविल प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियाँ</p> <p>3. नियमित सिविल वाद प्रकरण जो 1,50,00,001/- अंकन एक करोड़ पचास लाख एक रुपये से 2,00,00,000/-रुपये दो करोड़ रुपये मूल्य तक के हों, तथा उनसे उत्पन्न होने वाले विविध एवं निष्पादन कार्यवाहियाँ</p>
7.	पंचम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश एवं पंचम सदस्य मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण सागर श्री मयंक कुमार शुक्ला	जिला मुख्यालय सागर	<p style="text-align: center;">आपराधिक प्रकरण</p> <p>1. सत्र प्रकरण, दाइडक अपीलें, दाइडक पुनरीक्षण, विविध दाइडक प्रकरण एवं जमानत संबंधी आवेदन पत्र जो सत्र न्यायाधीश द्वारा अंतरित किये जावें।</p> <p style="text-align: center;">व्यवहार प्रकरण</p> <p>1. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले सिविल प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियाँ</p> <p>2. नियमित सिविल वाद प्रकरण जो 1,00,00,001/- अंकन एक करोड़ एक रुपये से 1,50,00,000/-रुपये एक करोड़ पचास लाख</p>

			<p>रूपये मूल्य तक के हों, तथा उनसे उत्पन्न होने वाले विविध एवं निष्पादन कार्यवाहियाँ</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1961 के अंतर्गत उत्पन्न अपीलें 4. हिन्दू अप्राप्तवय एवं सरक्षकता अधिनियम, 1956 के अधीन उत्पन्न कार्यवाहियाँ। 5. विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के अधीन उत्पन्न कार्यवाहियाँ। 6. हिन्दू दत्ताक एवं भरण पोषण अधिनियम, 1956 के अधीन उत्पन्न कार्यवाहियाँ। 7. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 की धारा 192 से 195 के अधीन ब्यूरोटर से संबंधित कार्यवाहियाँ। 8. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 के भाग 10 के अंतर्गत प्रकरण। 9. तहसील सागर से संबंधित भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 के तहत उत्पन्न अपील प्रकरण 10. संरक्षकता एवं प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 से संबंधित प्रकरण।
8.	षष्ठम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश एवं षष्ठम सदस्य मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण सागर श्री दिलीप सिंह परमार	जिला मुख्यालय सागर	<p>आपराधिक प्रकरण</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. सत्र प्रकरण, दाइडक अपीलें, दाइडक पुनरीक्षण, विविध दाइडक प्रकरण एवं जमानत संबंधी आवेदन पत्र जो सत्र न्यायाधीश द्वारा अंतरित किये जायें। <p>व्यवहार प्रकरण</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले सिविल प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियाँ। 3. नियमित सिविल वाद प्रकरण जो 2,00,00,001/- अंकन दो करोड़ एक रुपये से 2,50,00,000/-रुपये छाई करोड़ रुपये मूल्य तक के हों, तथा उनसे उत्पन्न होने वाले विविध एवं निष्पादन कार्यवाहियाँ। 4. विधि विभाग भोपाल की अधिसूचना अनुसार सिविल जिला सागर के लिये विनिर्दिष्ट अनुतोष (संशोधित) अधिनियम, 2018 की धारा 20-वी के अधीन सिविल जिला सागर से संबंधित रूपये 1 करोड़ से अधिक के समस्त प्रकरण एवं उनसे उत्पन्न होने वाली विविध एवं निष्पादन कार्यवाहियाँ। 5. न्यायालय नवम जिला एवं अंतिम सत्र न्यायाधीश सागर के न्यायालय द्वारा निर्णीतशुद्धा प्रकरणों (विशेष प्रकरण पौँक्सो एकट को छोड़कर) से उत्पन्न होने वाली विविध, निष्पादन एवं क्लेम राशि भुगतान संबंधी कार्यवाहियाँ। 6. न्यायालय द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश

			<p>सागर के न्यायालय द्वारा निर्णीतशुदा प्रकरणों से उत्पन्न होने वाली विविध निष्पादन एवं कलेम राशि भुगतान संबंधी कार्यवाहिया (न्यायालय रिकॉर्ड रहने तक)</p>
9.	<p>सप्तम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश एवं सप्तम सदस्य मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण सागर श्रीमति किरण कोल</p>	<p>जिला मुख्यालय सागर</p>	<p>आपराधिक प्रकरण</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. सत्र प्रकरण, दारिंडक अपीलें, दारिंडक पुनरीक्षण, विविध दारिंडक प्रकरण एवं जमानत संबंधी आवेदन पत्र जो सत्र न्यायाधीश द्वारा अंतरित किये जावें। <p>व्यवहार प्रकरण</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले सिविल प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियां 3. नियमित सिविल वाद प्रकरण जो 15,00,00,001/- अंकन पंद्रह करोड़ एक रुपये से 50,00,0,000/-रुपये पचास करोड़ रुपये मूल्य के हों, तथा उनसे उत्पन्न होने वाले विविध एवं निष्पादन कार्यवाहियां 4. अन्य जिला स्थापनाओं से प्राप्त होने वाले निष्पादन प्रकरण जो कि जिला मुख्यालय सागर के होत्राधिकार से संबंधित हैं, स्वतः न्यायालय में संस्थित माने जावेंगे।
10.	<p>अष्टम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश एवं अष्टम सदस्य मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण सागर श्री अब्दुल्लाह अहमद</p>	<p>जिला मुख्यालय सागर</p>	<p>आपराधिक प्रकरण</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. सत्र प्रकरण, दारिंडक अपीलें, दारिंडक पुनरीक्षण, विविध दारिंडक प्रकरण एवं जमानत संबंधी आवेदन पत्र जो सत्र न्यायाधीश द्वारा अंतरित किये जावें। 2. उच्च न्यायालय म0प्र० जबलपुर की अधिसूचना क्रमांक A/3987/(NDPS)III-6-3/89 जबलपुर दिनांक 29.10.2022 के अनुक्रम में स्वापक औषधि एवं मनप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का संल्योक्त 61) के अंतर्गत समस्त प्रकरण एवं उनसे संबंधित विविध कार्यवाहियां 3. म0प्र० विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक F.No./4777/21-B(1)/2022 भोपाल दिनांक 15.12.2022 के अनुक्रम में धारा 22(1) राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 के प्रकरण एवं उनसे संबंधित विविध कार्यवाहियां <p>व्यवहार प्रकरण</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले सिविल प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियां

			<p>5. नियमित सिविल वाद प्रकरण जो 50,00,00,001/- अंकन पचास करोड़ एक रुपये से 75,000,00,01/-रुपये पचहत्तर करोड़ रुपये मूल्य के हों, तथा उनसे उत्पन्न होने वाले विविध एवं निष्पादन कार्यवाहियाँ</p> <p>6. न्यायालय तृतीय जिला एवं अंतिम सत्र न्यायाधीश द्वारा निर्णीतशुदा प्रकरणों (विशेष प्रकरण पौक्सो एकट को छोड़कर) से उत्पन्न होने वाली विविध निष्पादन एवं बलेम राशि भुगतान संबंधी कार्यवाहियाँ</p>
11.	<p>विशेष न्यायाधीश पौक्सो एकट एवं नवम जिला एवं अंतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एवं नवम सदस्य मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण सागर श्रीमति ज्योति मिश्रा</p>	सत्र खण्ड सागर	<p>आपराधिक प्रकरण</p> <ol style="list-style-type: none"> सत्र प्रकरण, दाइडक अपीलें, दाइडक पुनरीक्षण, विविध दाइडक प्रकरण एवं जमानत संबंधी आवेदन पत्र जो सत्र न्यायाधीश द्वारा अंतरित किये जावें। जिला मुख्यालय के पुलिस आरक्षी केन्द्र केष्ट, मोतीनगर, राहतगढ़, सानीधा, जी०आ०पी० एवं महिला थाना सागर से उद्भूत होने वाले रेप, गैंग रेप, रेप विद मर्डर एवं उससे संबंधित अन्य प्रकरण एवं उनसे संबंधित विविध कार्यवाहियाँ। उच्च न्यायालय म०प्र० जबलपुर की अधिसूचना क्रमांक ए/1806/ ।।।-६-५/2010 (एफ.टी.एस.सी.एस.) सी.एस.एस. जबलपुर दिनांक 14.04.2022 के अनुक्रम में पुलिस आरक्षी केन्द्र मकरोनिया, गोपालगंज, सिविल लाईन, बहेरिया, नरयावली, जैसीनगर, कोतवाली, जी०आ०पी० एवं महिला थाना सागर से उद्भूत होने वाले लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के अंतर्गत प्रकरण व रिमाण्ड स्तर से समस्त कार्यवाहियाँ जमानत याचिका सहित। तहसील बण्डा, देवरी, रहली एवं शाहगढ़ से संबंधित एससी / एसटी (पी०ए०) एकट 1989 के साथ लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2021 के सभी विशेष मामले व उनसे संबंधित रिमाण्ड स्तर से समस्त कार्यवाहीयाँ जमानत याचिका सहित। प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले सिविल प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियाँ <p>व्यवहार प्रकरण</p>
12.	<p>विशेष न्यायाधीश क्र 10 सागर अंतर्गत विद्युत अधिनियम, एवं जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश सागर एवं</p>	जिला मुख्यालय सागर	<p>आपराधिक प्रकरण</p> <ol style="list-style-type: none"> सत्र प्रकरण, दाइडक अपीलें, दाइडक पुनरीक्षण, विविध दाइडक प्रकरण एवं जमानत संबंधी

	<p>अतिरिक्त सदस्य मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण सागर श्री प्रशांत कुमार</p>	<p>आवेदन पत्र जो सत्र न्यायाधीश द्वारा अंतरित किये जावें।</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत सागर से उत्पन्न प्रकरण व उनसे संबंधित विविध कार्यवाहियाँ 3. मध्यप्रदेश निषेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम, 2000 के अंतर्गत उत्पन्न प्रकरण <p>व्यवहार प्रकरण</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले सिविल प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियाँ 5. नियमित सिविल वाद प्रकरण जो 2,50,00,001/- अंकन ढाई करोड़ एक रुपये से 5,00,00,000/- रुपये पांच करोड़ रुपये मूल्य के हों, तथा उनसे उत्पन्न होने वाले विविध एवं निष्पादन कार्यवाहियाँ 6. मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम, 1996 के अंतर्गत समस्त प्रकरण एवं उनसे उत्पन्न होने वाली विविध एवं निष्पादन कार्यवाहियाँ 7. भाडा नियन्त्रण प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपीलें 8. दिवाला अधिनियम के अंतर्गत रुपये 1,00,00,000/- अंकन एक करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के प्रकरण 9. मानसिक स्वारक्ष्य अधिनियम, 1987 के अधीन उत्पन्न मामले एवं कार्यवाहियाँ। 10. ऐसे फास्ट ट्रैक न्यायालय सागर, प्रशिक्षा जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सागर एवं जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के न्यायालय जो कि पूर्व में कार्यरत थे, के द्वारा निर्णीतशुदा प्रकरणों से संबंधित समस्त कार्यवाहियाँ।
13.	<p>प्रथम जिला एवं अंती सत्र न्यायाधीश सागर के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश सागर एवं अतिरिक्त सदस्य मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण सागर श्री दिनेश सिंह राणा</p>	<p>जिला मुख्यालय सागर</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. सत्र प्रकरण, दाइडक अपीलें, दाइडक पुनरीक्षण, विविध दाइडक प्रकरण एवं जमानत संबंधी आवेदन पत्र जो सत्र न्यायाधीश द्वारा अंतरित किये जावें। <p>व्यवहार प्रकरण</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले सिविल प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियाँ 3. नियमित सिविल वाद प्रकरण जो 5,00,00,001/- अंकन पांच करोड़ एक रुपये से 15,00,00,000/- रुपये पन्द्रह करोड़ रुपये मूल्य के हों, तथा उनसे उत्पन्न होने वाले विविध एवं निष्पादन कार्यवाहियाँ।

			<p>4. म०प्र०प्र०दिक्षिण ट्रस्ट एकट से संबंधित रूपये 1,00,000,00/- अंकन एक करोड से अधिक के प्रकरण</p> <p>5. लघुधाद प्रकरण जिनका मूल्यांकन 500/- अंकन पांच रुपये से 1000/- अंकन एक हजार तक का हो।</p>
14.	<p>जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश बंडा एवं अतिरिक्त सदस्य मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण बण्डा श्री रामलाल शाक्य</p>	<p>तहसील बण्डा एवं शाहगढ़</p>	<p>आपराधिक प्रकरण</p> <p>1. सत्र प्रकरण, दाइडक अपील, दाइडक पुनरीक्षण, विविध दाइडक प्रकरण एवं जमानत संबंधी आवेदन पत्र जो सत्र न्यायाधीश द्वारा अंतरित किये जायें।</p> <p>2. तहसील बण्डा एवं शाहगढ़ से संबंधित लैगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत रिमांड स्तर से समस्त मामले एवं उनसे संबंधित विविध न्यायिक कार्यवाहियां एवं जमानत याचिकायें।</p> <p>3. समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बंडा के निर्णय एवं आदेशों से उत्पन्न आपराधिक अपील एवं आपराधिक पुनरीक्षण प्रकरण</p> <p>4. विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत तहसील बंडा क्षेत्र से उत्पन्न प्रकरण व उनसे संबंधित विविध कार्यवाहियां।</p> <p>5. मध्यप्रदेश निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम, 2000 के अंतर्गत उत्पन्न प्रकरण</p> <p>6. आरक्षी केन्द्र बण्डा से उत्पन्न होने वाले सभी जमानत संबंधी आवेदन पत्र अंतर्गत द्वारा 438, 439 द.प्र.स.</p> <p>व्यवहार प्रकरण</p> <p>7. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले सिविल प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियां।</p> <p>8. तहसील बंडा से उत्पन्न ऐसे सिविल वाद प्रकरण जिनका मूल्यांकन 1,00,000,00/- से 2,00,000,00/- तक अंकन एक करोड रूपये से दो करोड रूपये तक का हो तथा उनसे उत्पन्न होने वाली विविध एवं निष्पादन कार्यवाहियां।</p> <p>9. मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम, 1996 के अंतर्गत समस्त प्रकरण एवं उनसे उत्पन्न होने वाली विविध एवं निष्पादन कार्यवाहियां।</p> <p>10. समस्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड बंडा द्वारा निराकृत सिविल प्रकरणों से संबंधित निर्णय एवं डिक्टी से उद्भूत नियमित एवं विविध अपील प्रकरण।</p>

		<p>11. भाडा नियंत्रण प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपीलें</p> <p>12. म0930 नगर पालिका अधिनियम, के अंतर्गत अपील प्रकरण</p> <p>13. लघुवाद प्रकरण जिनका मूल्यांकन 500/- अकन पांच सौ रुपये से 1000/- अंकन एक हजार तक का हो।</p> <p>14. पुलिस आरक्षी केन्द्र बंडा क्षेत्र में घटित दुर्घटनाओं से उत्पन्न समस्त मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण एवं उनसे उत्पन्न विविध एवं निष्पादन कार्यवाहियां।</p> <p>15. हिन्दू अप्राप्तावय एवं संरक्षकता अधिनियम, 1956 के अधीन उत्पन्न कार्यवाहियां।</p> <p>16. हिन्दू दत्तात्र एवं भरण पोषण अधिनियम, 1956 के अधीन उत्पन्न कार्यवाहियां।</p> <p>17. विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के अधीन उत्पन्न कार्यवाहियां।</p> <p>18. भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम, 1869 के अंतर्गत समस्त प्रकरण (परिवार न्यायालय के क्षेत्राधिकार से संबंधित प्रकरणों को छोड़कर)</p> <p>19. संरक्षकता एवं प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 से संबंधित प्रकरण</p> <p>20. हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 से उत्पन्न, तहसील बंडा, एवं शाहगढ़ क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले सभी प्रकरण (परिवार न्यायालय सागर के अंतर्गत आने वाले प्रकरणों को छोड़कर)</p> <p>21. दिवाला अधिनियम, के अंतर्गत रुपये 1,00,00,000/- अंकन एक करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के प्रकरण</p> <p>22. मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987 के अधीन उत्पन्न मामले एवं कार्यवाहियां।</p> <p>23. नगर दण्डाधिकारी बंडा के छारा दण्ड प्रक्रिया सहिता की धारा 107, 116, 133, 149, 145 एवं 151 के अधीन की जाने याती प्रतिबंधात्मक कार्यवाही से संबंधित आदेशों से उत्पन्न दाढ़िक अपील एवं दांडिक पुनरीक्षण याचिकायें।</p> <p>24. तहसील बंडा से उत्पन्न मध्य प्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा 24 एवं 26 के अधीन कार्यवाहिया।</p> <p>25. प्रोबेट पिटीशन से संबंधित मामले</p> <p>26. मध्यप्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम, 1956 तथा मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1961 के अंतर्गत निर्वाचन याचिकायें</p>
--	--	--

			27. भू-अर्जन के अंतर्गत सभी मामले एवं भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 64 के अधीन आवेदन / निर्देश।
15.	जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश बंडा के न्यायालय के अंतिम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश एवं अतिरिक्त सदस्य मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण बण्डा श्री आशीष परसाई	तहसील बण्डा एवं शाहगढ़	<p>आपराधिक प्रकरण</p> <ol style="list-style-type: none"> सत्र प्रकरण, दाइडक अपीलें, दाइडक पुनरीक्षण, विविध दाइडक प्रकरण एवं जमानत संबंधी आवेदन पत्र जो सत्र न्यायाधीश हारा अंतरित किये जावें। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम ब्रेणी श्रृंखला न्यायालय शाहगढ़ के निर्णय एवं आदेशों से उत्पन्न आपराधिक अपील एवं आपराधिक पुनरीक्षण प्रकरण आरक्षी केन्द्र शाहगढ़ से उत्पन्न होने वाले सभी जमानत संबंधी आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 438, 439 द.प्र.स. <p>ब्यवहार प्रकरण</p> <ol style="list-style-type: none"> प्रधान जिला न्यायाधीश हारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले सिविल प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियाँ तहसील बंडा से उत्पन्न ऐसे सिविल वाद प्रकरण जिनका मूल्यांकन 2,00,000.00/- अंकन दो करोड़ रुपये से अधिक का हो एवं उनसे उत्पन्न होने वाली विविध एवं निष्पादन कार्यवाहियाँ समस्त ब्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड बण्डा एवं श्रृंखला न्यायालय शाहगढ़ हारा निराकृत सिविल प्रकरणों से संबंधित निर्णय एवं डिक्टी से उद्भूत नियमित एवं विविध अपील प्रकरण पुलिस आरक्षी केन्द्र शाहगढ़ होत्र में घटित दुर्घटनाओं से उत्पन्न समस्त मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण एवं उनसे उत्पन्न विविध एवं निष्पादन कार्यवाहियाँ।
16.	प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश एवं प्रथम सदस्य मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण स्वरई	तहसील स्वरई एवं मालथीन	(रिक्त न्यायालय)
17.	द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश एवं द्वितीय सदस्य मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण स्वरई श्री आशीष शुक्ला	तहसील स्वरई एवं मालथीन	<p>आपराधिक प्रकरण</p> <ol style="list-style-type: none"> सत्र प्रकरण, दाइडक अपीलें, दाइडक पुनरीक्षण, विविध दाइडक प्रकरण एवं जमानत संबंधी आवेदन पत्र जो सत्र न्यायाधीश हारा अंतरित किये जावें। तहसील स्वरई एवं मालथीन से संबंधित लैगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012

		<p>के अंतर्गत रिमांड स्तर से समस्त मामले एवं उनसे संबंधित विविध न्यायिक कार्यवाहियाँ एवं जमानत याचिकायें।</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. समस्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड/न्यायिक मजिल प्रथम श्रेणी, खुरई (वर्तमान व पूर्व पदस्थ) के निर्णय एवं आदेशों से उत्पन्न होने वाली नियमित आपराधिक अपील एवं पुनरीक्षण प्रकरण 4. आरक्षी केन्द्र खिमलासा, मालथीन से उत्पन्न होने वाले सभी जमानत संबंधी आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 438, 439 द.प्र.स. 5. तहसील खुरई से उत्पन्न विद्युत अधिनियम, 2003 से संबंधित प्रकरण 6. मध्यप्रदेश निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम, 2000 के अंतर्गत उत्पन्न प्रकरण 7. नगर दण्डाधिकारी खुरई के द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 107, 116, 133, 149, 145 एवं 151 के अधीन की जाने वाली प्रतिवधात्मक कार्यवाही से संबंधित आदेशों से उत्पन्न दाढ़िक अपील एवं दाढ़िक पुनरीक्षण याचिकायें। <p>व्यवहार प्रकरण</p> <ol style="list-style-type: none"> 8. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले सिविल प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियाँ 9. ऐसे सिविल वाद प्रकरण जिनका मूल्यांकन 5,00,000.00/- अंकन पांच करोड़ रुपये से अधिक का हो एवं उनसे उत्पन्न विविध एवं निष्पादन कार्यवाहियाँ। 10. पुलिस आरक्षी केन्द्र खिमलासा एवं मालथीन थाना क्षेत्र में घटित दुर्घटनाओं से उत्पन्न समस्त मोटर दुर्घटना दाया प्रकरण एवं उनसे उत्पन्न विविध एवं निष्पादन कार्यवाहियाँ। 11. समस्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, खुरई (वर्तमान व पूर्व पदस्थ) के न्यायालय द्वारा निराकृत सिविल प्रकरणों से उत्पन्न नियमित एवं विविध सिविल अपील प्रकरण 12. मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम, 1996 के अंतर्गत समस्त प्रकरण एवं उनसे उत्पन्न होने वाली विविध एवं निष्पादन कार्यवाहियाँ। 13. मध्य प्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा 24 एवं 26 के अधीन कार्यवाहियाँ। 14. भू-अर्जन के अंतर्गत सभी मामले एवं भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 64 के अधीन आवेदन/निर्देश।
--	--	--

			15. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 के भाग 10 के अंतर्गत प्रकरण एवं प्रोबेट पिटीशन
18.	तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश एवं तृतीय सदस्य मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण खुरई श्री मुकेश कुमार यादव	तहसील खुरई एवं मालथीन	<p>आपराधिक प्रकरण</p> <ol style="list-style-type: none"> सत्र प्रकरण, दाण्डक अपीलो, दाण्डक पुनरीक्षण, विविध दाण्डक प्रकरण एवं जमानत संबंधी आवेदन पत्र जो सत्र न्यायाधीश द्वारा अंतरित किये जावे। समस्त व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड/न्यायिक मजिस्ट्री प्रथम श्रेणी, खुरई एवं श्रृंखला न्यायालय मालथीन (वर्तमान व पूर्व पदस्थ) के निर्णय एवं आदेशों से उत्पन्न होने वाली नियमित आपराधिक अपील एवं आपराधिक पुनरीक्षण प्रकरण आरक्षी केन्द्र खुरई, जी.आर.पी.खुरई, बांदरी एवं फॉरेस्ट एकट से उत्पन्न होने वाले सभी जमानत संबंधी आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 438, 439 द.प्र.स. (पौंडसो एकट के प्रकरणों को छोड़कर)। <p>व्यवहार प्रकरण</p> <ol style="list-style-type: none"> प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले सिविल प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियाँ। समस्त व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, खुरई एवं श्रृंखला न्यायालय मालथीन (वर्तमान व पूर्व पदस्थ) के न्यायालय के निर्णय एवं आदेशों के उत्पन्न नियमित एवं विविध अपील प्रकरण ऐसे सिविल वाद प्रकरण जिनका मूल्यांकन रूपये 1,00,000.01/- एक करोड़ एक रुपये से 5,00,000.00/- अंकन पांच करोड़ रुपये तक का हो एवं उनसे उत्पन्न विविध एवं निष्पादन कार्यवाहियाँ। पुलिस आरक्षी केन्द्र खुरई एवं बांदरी थाना क्षेत्र में घटित दुर्घटनाओं से उत्पन्न समस्त मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण एवं उनसे उत्पन्न विविध एवं निष्पादन कार्यवाहियाँ। हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 से उत्पन्न होने वाले सभी प्रकरण (परिवार न्यायालय सागर के अंतर्गत आने वाले प्रकरणों को छोड़कर) हिन्दू अप्राप्तवय एवं संरक्षकता अधिनियम, 1956 के अधीन उत्पन्न कार्यवाहियाँ। विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के अधीन उत्पन्न कार्यवाहियाँ। हिन्दू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम, 1956 के अधीन उत्पन्न कार्यवाहियाँ।

		<p>12. भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम, 1869 के अंतर्गत समस्त प्रकरण (परिवार न्यायालय के क्षेत्राधिकार से संबंधित प्रकरणों को छोड़कर)</p> <p>13. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 की धारा 192 से 195 के अधीन क्यूरेटर से संबंधित कार्यवाहियाँ।</p> <p>14. संरक्षकता एवं प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 से संबंधित प्रकरण</p> <p>15. बालकों के देखरेख एवं उनके संरक्षण अधिनियम, 2000 एवं 2015, दल्लक ग्रहण अधिनियम के अंतर्गत उत्पन्न अपीलें</p> <p>16. दिवाला अधिनियम, के अंतर्गत रूपये 1,00,00,000/- अंकन एक करोड़ रूपये से अधिक मूल्य के प्रकरण</p> <p>17. मानसिक रुद्धारश्य अधिनियम, 1987 के अधीन उत्पन्न मामले एवं कार्यवाहियाँ।</p> <p>18. लघुवाद प्रकरण जिनका मूल्यांकन 500/- रूपये से अधिक एवं 1000/- रूपये से कम हो।</p> <p>19. समस्त रिक्त जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, खुरई के द्वारा निराकृत सिविल एवं आपराधिक प्रकरणों से उत्पन्न होने वाली निष्पादन प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियों से संबंधित कार्य।</p> <p>20. भू-अर्जन के अंतर्गत सभी मामले एवं भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 64 के अधीन आवेदन / निर्देश।</p> <p>21. मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 तथा मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1961 के अंतर्गत निर्वाचन याचिकायें।</p>	
19.	<p>प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश एवं प्रथम सदस्य मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण बीना श्री आलोक कुमार मिश्रा</p>	<p>तहसील बीना</p>	<p>आपराधिक प्रकरण</p> <ol style="list-style-type: none"> सत्र प्रकरण, दाइडिक अपीलें, दाइडिक पुनरीक्षण, विविध दाइडिक प्रकरण एवं जमानत संबंधी आवेदन पत्र जो सत्र न्यायाधीश द्वारा अंतरित किये जावें। तहसील बीना से संबंधित लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत रिमांड रत्तर से समस्त मामले एवं उनसे संबंधित विविध न्यायिक कार्यवाहियाँ एवं जमानत याचिकायें। समस्त (वर्तमान व पूर्व पदस्थ) व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड/न्यायिक मणि० प्रथम श्रेणी, बीना के न्यायालय के निर्णय एवं आदेशों से उद्भूत समस्त अपीलें व पुनरीक्षण याचिका

		<p>4. मध्यप्रदेश निषेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम, 2000 के अंतर्गत उत्पन्न प्रकरण</p> <p>5. आरक्षी केन्द्र भानगढ़ एवं आगासौद से उत्पन्न होने वाले सभी जगानत संबंधी आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 438, 439 द.प्र.स.</p> <p>6. पूर्व पदस्थ, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, बीना के द्वारा निराकृत सिविल एवं आपराधिक प्रकरणों से उत्पन्न होने वाली कार्यवाहियों से संबंधित समस्त कार्य।</p>
		व्यवहार प्रकरण
		<p>7. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले सिविल प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियाँ</p> <p>8. सिविल वाद प्रकरण जिनका मूल्यांकन 1,00,000/- अंकन एक करोड़ रुपये से 2,00,000/- अंकन दो करोड़ तक का हो एवं उनसे उत्पन्न होने वाली विविध एवं निष्पादन कार्यवाहियाँ</p> <p>9. मध्यरस्ता एवं सुलह अधिनियम, 1996 के अंतर्गत समस्त प्रकरण एवं उनसे उत्पन्न होने वाली विविध एवं निष्पादन कार्यवाहियाँ</p> <p>10. समस्त (वर्तमान व पूर्व पदस्थ) व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, बीना द्वारा निराकृत सिविल प्रकरणों से संबंधित निर्णय एवं डिक्टी से उद्भूत नियमित एवं विविध अपील प्रकरण</p> <p>11. भाडा नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध अपील प्रकरण</p> <p>12. म0प्र0 नगर पालिका अधिनियम, के अंतर्गत अपील प्रकरण</p> <p>13. लघुवाद प्रकरण जिनका मूल्यांकन 500/- अंकन पाच सौ रुपये से 1000/- अंकन एक हजार तक का हो।</p> <p>14. पुलिस आरक्षी केन्द्र भानगढ़ एवं आगासौद थाना क्षेत्र में घटित दुर्घटनाओं से उत्पन्न समस्त मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण एवं उनसे उत्पन्न विविध एवं निष्पादन कार्यवाहियाँ।</p> <p>15. हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 से उत्पन्न होने वाले सभी प्रकरण (परिवार न्यायालय सागर के अंतर्गत आने वाले प्रकरणों को छोड़कर)</p> <p>16. भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम, 1869 के अंतर्गत समस्त प्रकरण (परिवार न्यायालय के क्षेत्राधिकार से संबंधित प्रकरणों को छोड़कर)</p> <p>17. हिन्दू अप्राप्तावय एवं संरक्षकता अधिनियम, 1956 के अधीन उत्पन्न कार्यवाहियाँ।</p>

		<p>18. विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के अधीन उत्पन्न कार्यवाहियाँ।</p> <p>19. हिन्दू दत्तक एवं भरण पौष्ट्रण अधिनियम, 1956 के अधीन उत्पन्न कार्यवाहियाँ।</p> <p>20. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 की धारा 192 से 195 के अधीन क्यूरेटर रो संबंधित कार्यवाहियाँ।</p> <p>21. संरक्षकता एवं प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 से संबंधित प्रकरण</p> <p>22. बालकों के देखरेख एवं उनके संरक्षण अधिनियम, 2000 एवं 2015, दत्तक ग्रहण अधिनियम के अंतर्गत उत्पन्न अपीले</p> <p>23. मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987 के अधीन उत्पन्न मामले एवं कार्यवाहियाँ।</p> <p>24. नगर दण्डाधिकारी बीना के द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अधीन की जाने वाली प्रतिबंधात्मक कार्यवाही से संबंधित आदेशों से उत्पन्न दांडिक अपील एवं दांडिक पुनरीक्षण याचिकाये।</p> <p>25. तहसील बीना से संबंधित उत्तराधिकार अधिनियम, के तहत उत्पन्न अपील प्रकरण</p> <p>26. भू-अर्जन के अंतर्गत सभी मामले एवं भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 64 के अधीन आवेदन / निर्देश।</p>
20.	<p>द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश एवं द्वितीय सदस्य मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण बीना</p> <p>श्री मनीष कुमार लोकेशी</p>	<p>तहसील बीना</p> <p>आपराधिक प्रकरण</p> <ol style="list-style-type: none"> सत्र प्रकरण, दांडिक अपील, दांडिक पुनरीक्षण, विविध दांडिक प्रकरण एवं जमानत संबंधी आवेदन पत्र जो सत्र न्यायाधीश द्वारा अंतरित किये जावें। तहसील बीना से उत्पन्न विद्युत अधिनियम, 2003 से संबंधित प्रकरण (माननीय उच्च न्यायालय म0प्र0 जबलपुर की अधिसूचना जारी होने की दिनांक से) समस्त (वर्तमान व पूर्व पदस्थ) व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड/न्यायिक मजिस्ट्रेट/प्रथम/द्वितीय श्रेणी, बीना के न्यायालय के निर्णय एवं आदेशों से उदभूत समस्त अपीलें व पुनरीक्षण याचिका आरक्षी केन्द्र बीना एवं जी.आर.पी. बीना से उत्पन्न समस्त जमानत संबंधी आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 438, 439 द.प्र.स.(पॉक्सो एक्ट के प्रकरणों को छोड़कर)। <p>व्यवहार प्रकरण</p> <ol style="list-style-type: none"> प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले सिविल प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियाँ।

			<p>6. सिविल बाद प्रकरण जिनका मूल्यांकन 2,00,000/- अंकन दो करोड़ से अधिक का हो एवं उनसे उत्पन्न होने वाली विविध एवं निष्पादन कार्यवाहियाँ।</p> <p>7. पुलिस आरक्षी केन्द्र बीना एवं जी.आर.पी. बीना थाना क्षेत्र में घटित दुर्घटनाओं से उत्पन्न समस्त मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण एवं उनसे उत्पन्न विविध एवं निष्पादन कार्यवाहियाँ।</p> <p>8. हिन्दू दत्ततङ्क एवं भरण पोषण अधिनियम, 1956 से संबंधित प्रकरण</p> <p>9. प्रोबेट पिटीशन</p> <p>10. सरकारता एवं प्रतिपाल्य अधिनियम से संबंधित प्रकरण</p> <p>11. दिवाला अधिनियम के अंतर्गत रूपये 1,00,00,000/- अंकन एक करोड़ रूपये से अधिक मूल्य के प्रकरण</p> <p>12. मध्यप्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम, 1956 तथा मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1961 के अंतर्गत निर्वाचन याचिकायें।</p> <p>13. समस्त (वर्तमान व पूर्व पदस्थ) व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, बीना हारा निराकृत सिविल प्रकरणों से संबंधित निर्णय एवं डिक्टी से उद्भूत नियमित एवं विविध अपील प्रकरण</p> <p>14. तहसील बीना से उत्पन्न म0प्र0 लोक न्यास अधिनियम, से संबंधित प्रकरण एवं उनसे संबंधित कार्यवाहियाँ।</p>
21.	द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश एवं द्वितीय सदस्य मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण देवरी श्री महेश कुमार झा	तहसील देवरी एवं केसली	<p>आपराधिक प्रकरण</p> <p>1. सत्र प्रकरण, दापिंडक अपील, दापिंडक पुनरीक्षण, विविध दापिंडक प्रकरण एवं जमानत संबंधी आवेदन पत्र जो सत्र न्यायाधीश हारा अंतरित किये जावें।</p> <p>2. पुलिस आरक्षी केन्द्र केसली एवं महाराजपुर से उत्पन्न सत्र विचारण प्रकरण एवं सभी जमानत संबंधी आवेदन पत्र अंतर्गत हारा 438, 439 दप्र स.</p> <p>3. तहसील देवरी एवं केसली से संबंधित लैगिक अपराधों से बालकों का सरकार अधिनियम 2012 के अंतर्गत रिमांड स्तर से समस्त मामले एवं उनसे संबंधित विविध न्यायिक कार्यवाहियाँ एवं जमानत याचिकायें।</p> <p>4. मध्यप्रदेश निषेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम, 2000 के अंतर्गत उत्पन्न प्रकरण</p> <p>5. समस्त (वर्तमान व पूर्व पदस्थ) व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड/न्यायिक मजिल प्रथम श्रेणी देवरी के न्यायालय के निर्णय एवं अदेशों से उद्भूत समस्त अपीलें व पुनरीक्षण याचिका</p>

व्यवहार प्रकरण

6. जिला न्यायाधीश द्वारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले सिविल प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियाँ
7. रूपये 50000001/- अकन पांच करोड़ एक रूपये एवं उससे अधिक के सिविल बाद प्रकरण एवं उनसे उत्पन्न होने वाली विविध एवं निष्पादन कार्यवाहियाँ
8. समस्त (वर्तमान व पूर्व पदस्थ) व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड देवरी के न्यायालय के निर्णय एवं आदेशों से उद्भूत समस्त नियमित एवं विविध अपीले
9. मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम, 1996 के अंतर्गत समस्त प्रकरण एवं उनसे उत्पन्न होने वाली विकिध एवं निष्पादन कार्यवाहियाँ
10. भाडा नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध अपील प्रकरण
11. म0प्र० नगर पालिका अधिनियम के अंतर्गत अपील प्रकरण
12. मध्यप्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम, 1956 तथा मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1961 के अंतर्गत निर्वाचन याचिकायें
13. लघुबाद प्रकरण जिनका मूल्यांकन 500/-अकन पांच सौ रूपये से 1000/- अकन एक हजार तक का हो।
14. धाना देवरी एवं गौरझामर के क्षेत्राधिकार से उद्भूत समस्त मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण एवं उनसे उत्पन्न होने वाली विविध एवं निष्पादन कार्यवाहियाँ
15. हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 से उत्पन्न होने वाले सभी प्रकरण (परिवार न्यायालय सामर के अंतर्गत आने वाले प्रकरणों को छोड़कर)
16. हिन्दू अप्राप्तवय एवं संरक्षकता अधिनियम, 1956 के अधीन उत्पन्न कार्यवाहियाँ।
17. विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के अधीन उत्पन्न कार्यवाहियाँ।
18. हिन्दू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम, 1956 के अधीन उत्पन्न कार्यवाहियाँ।
19. भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम, 1869 के अंतर्गत समस्त प्रकरण (परिवार न्यायालय के क्षेत्राधिकार से संबंधित प्रकरणों को छोड़कर)
20. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 की घारा 192 से 195 के अधीन क्यूरेटर से संबंधित कार्यवाहियाँ।
21. संरक्षकता एवं प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 से संबंधित प्रकरण
22. बालकों के दखरेख एवं उनके संरक्षण अधिनियम,

			<p>2000 एवं 2015, दल्तक ग्रहण अधिनियम के अंतर्गत उत्पन्न अपीलें</p> <p>23. दिवालिया अधिनियम, के अंतर्गत रूपये 1,00,000.00/- अकन एक करोड़ रूपये से अधिक मूल्य के प्रकरण</p> <p>24. मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987 के अधीन उत्पन्न मामले एवं कार्यवाहियाँ।</p> <p>25. म०प्र० लोक न्यास अधिनियम, से संबंधित प्रकरण जिनका मूल्याकान 1,00,000.00/- अकन एक करोड़ रूपये से अधिक हो।</p> <p>26. नगर दण्डाधिकारी देवरी के हारा दण्ड प्रक्रिया सहित, 1973 के अधीन की जाने वाली प्रतिबद्धात्मक कार्यवाही से संबंधित आदेशों से उत्पन्न दाढ़िक अपील एवं दाढ़िक पुनरीक्षण याचिकायें।</p> <p>27. तहसील देवरी से उत्पन्न म०प्र० लोक न्यास अधिनियम, से संबंधित प्रकरण एवं उनसे संबंधित कार्यवाहियाँ।</p>
22.	जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश देवरी के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश एवं अतिरिक्त सदस्य मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण देवरी श्री अनुज कुमार	तहसील देवरी एवं केसली	<p>आपराधिक प्रकरण</p> <p>1. सत्र प्रकरण, दाढ़िक अपीलें, दाढ़िक पुनरीक्षण, विविध दाढ़िक प्रकरण एवं जमानत संबंधी आवेदन पत्र जो सत्र न्यायाधीश हारा अंतरित किये जायें।</p> <p>2. समस्त (वर्तमान व पूर्व पदस्थ) व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड / न्यायिक मजिद प्रथम श्रेणी देवरी एवं केसली के निर्णय एवं आदेशों से उत्पन्न नियमित आपराधिक अपील प्रकरण एवं पुनरीक्षण याचिकायें।</p> <p>3. पुलिस आरक्षी केन्द्र देवरी एवं गौरक्षामर से उत्पन्न सत्र विचारण प्रकरण एवं सभी जमानत संबंधी आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 438, 439 द.प्र.स. (पॉक्सो एकट के प्रकरणों को छोड़कर)।</p> <p>4. विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत तहसील देवरी क्षेत्र से उत्पन्न प्रकरण व उनसे संबंधित विविध कार्यवाहियाँ।</p> <p>व्यवहार प्रकरण</p> <p>5. जिला न्यायाधीश हारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले सिविल प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियाँ।</p> <p>6. पुलिस आरक्षी केन्द्र केसली एवं महाराजपुर के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न समस्त प्रकृति के मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण एवं उनसे उत्पन्न होने वाली विविध एवं निष्पादन कार्यवाहियाँ।</p> <p>7. समस्त (वर्तमान व पूर्व पदस्थ) व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड देवरी एवं केसली के न्यायालय हारा पारित निर्णय एवं आदेशों से उत्पन्न नियमित एवं</p>

			<p>विविध अपीले</p> <p>8. रुपये 100000001/- अंकन एक करोड़ एक लाख से 50000000/- अंकन पांच करोड़ रुपये तक के सिविल चाद प्रकरण एवं उनसे उत्पन्न होने वाली विविध एवं निष्पादन कार्यवाहियाँ</p> <p>9. तहसील केसली से संबंधित उत्तराधिकार अधिनियम के तहत उत्पन्न अपील प्रकरण</p> <p>10. भू-अर्जन के अंतर्गत सभी मामले एवं भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 64 के अधीन आवेदन / निर्देश।</p>
23.	प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एवं प्रथम सदस्य मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण रहली श्री दिनेश देवढा	तहसील रहली एवं गढ़कोटा	<p>आपराधिक प्रकरण</p> <p>1. सत्र प्रकरण, दाखिलक अपील, दाखिलक पुनरीक्षण, विविध दाखिलक प्रकरण एवं जमानत संबंधी आवेदन पत्र जो सत्र न्यायाधीश द्वारा अंतरित किये जावे।</p> <p>2. समस्त (वर्तमान व पूर्व पदस्थ) व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड/न्यायिक मजिद प्रथम श्रेणी, तहसील रहली एवं गढ़कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं आदेशों से उत्पन्न आपराधिक अपीलें एवं पुनरीक्षण याचिका।</p> <p>3. पुलिस आरक्षी केन्द्र गढ़कोटा थाना क्षेत्र से उत्पन्न सभी जमानत संबंधी आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 438, 439 द.प्र.स.(पैक्सो एकट के प्रकरणों को छोड़कर)।</p> <p>व्यवहार प्रकरण</p> <p>4. जिला न्यायाधीश द्वारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले सिविल प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियाँ</p> <p>5. तहसील रहली से उत्पन्न ऐसे सिविल चाद प्रकरण जिनका मूल्यांकन 1,00,000.01/- अंकन एक करोड़ एक रुपये से 2,00,000.00/- अंकन दो करोड़ रुपये तक का हो एवं उनसे उत्पन्न होने वाली विविध एवं निष्पादन कार्यवाहियाँ</p> <p>6. पुलिस आरक्षी केन्द्र गढ़कोटा थाना क्षेत्र से उत्पन्न समस्त मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण एवं उनसे संबंधित विविध एवं निष्पादन कार्यवाहियाँ</p> <p>7. समस्त (वर्तमान व पूर्व पदस्थ) व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड तहसील रहली एवं गढ़कोटा के न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय एवं आदेशों से उत्पन्न नियमित एवं विविध सिविल अपीलें</p> <p>8. भाडा नियंत्रण अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध अपील प्रकरण</p> <p>9. मप्र० नगर पालिका अधिनियम, के अंतर्गत अपील प्रकरण</p> <p>10. लघुचाद प्रकरण जिनका मूल्यांकन 500/- अंकन पांच सौ रुपये से 1000/- अंकन एक हजार</p>

			<p>तक का हो।</p> <p>11. मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987 के अधीन उत्पन्न मामले एवं कार्यवाहिया।</p> <p>12. नगर दण्डाधिकारी रहली के द्वारा दण्ड प्रक्रिया सहिता, 1973 के अधीन की जाने वाली प्रतिक्रियात्मक कार्यवाही से संबंधित आदेशों से उत्पन्न दांडिक अपील एवं दांडिक पुनरीक्षण याचिकायें।</p> <p>13. तहसील रहली एवं गढ़ाकोटा से उत्पन्न म0प्र0 लोक न्याय अधिनियम, से संबंधित प्रकरण एवं उनसे संबंधित कार्यवाहियाँ।</p> <p>14. मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 तथा मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1961 के अंतर्गत निर्वाचित याचिकायें।</p> <p>15. प्रोबेट पिटीशन से संबंधित मामले।</p> <p>16. मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 307 उपधारा (5) के अंतर्गत याचिकायें।</p> <p>17. पूर्व में पदरथ रहे समस्त रिक्त जिला एवं आपर सत्र न्यायाधीशगण के द्वारा निराकृत सिविल एवं आपराधिक प्रकरणों से उत्पन्न होने वाली निष्पादन प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियों से संबंधित कार्य</p>
24.	द्वितीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एवं द्वितीय सदस्य मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण रहली डॉ० श्रीमति शुभा सिंह	तहसील रहली एवं गढ़ाकोटा	<p>आपराधिक प्रकरण</p> <ol style="list-style-type: none"> सत्र प्रकरण, दाण्डिक अपीलें, दाण्डिक पुनरीक्षण, विविध दाण्डिक प्रकरण एवं जमानत संबंधी आवेदन पत्र जो सत्र न्यायाधीश द्वारा अंतरित किये जावें। तहसील रहली एवं गढ़ाकोटा से संबंधित लैंगिक अपराधों से वालकों का सरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत रिमांड रत्तर से समरता मामले एवं उनसे संबंधित विविध न्यायिक कार्यवाहियाँ एवं जमानत याचिकायें। समस्त (वर्तमान व पूर्व पदरथ) व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड/न्यायिक मंजिल प्रथम श्रेणी तहसील रहली द्वारा पारित निर्णय एवं आदेशों से उत्पन्न आपराधिक अपीलें एवं पुनरीक्षण याचिकाएं। विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत तहसील रहली एवं गढ़ाकोटा क्षेत्र से उत्पन्न प्रकरण व उनसे संबंधित विविध कार्यवाहियाँ। मध्यप्रदेश निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम, 2000 के अंतर्गत उत्पन्न प्रकरण। पुलिस आरक्षी केन्द्र रहली थाना क्षेत्र से उत्पन्न सभी जमानत संबंधी आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 438, 439 द.प्र.स. व्यवहार प्रकरण। जिला न्यायाधीश द्वारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले सिविल प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियाँ। तहसील रहली से उत्पन्न ऐसे सिविल वाद प्रकरण

			<p>जिनका मूल्यांकन 2,00,000.01/- अंकन दो करोड़ एक रुपये या उससे अधिक का हो एवं उनसे उत्पन्न होने वाली विविध एवं निष्पादन कार्यवाहियाँ</p> <p>9. मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम, 1996 के अंतर्गत समस्त प्रकरण एवं उनसे उत्पन्न होने वाली विविध एवं निष्पादन कार्यवाहियाँ</p> <p>10. समस्त (वर्तमान व पूर्व पदस्थ) व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड रहली के न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय एवं आदेशों से उत्पन्न नियमित एवं विविध सिविल अपीलें</p> <p>11. पुलिस आरक्षी केन्द्र रहली थाना क्षेत्र से उत्पन्न समस्त भौटर दुर्घटना दावा प्रकरण एवं उनसे संबंधित विविध एवं निष्पादन कार्यवाहियाँ</p> <p>12. हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 से उत्पन्न, तहसील रहली एवं गढ़कोटा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले सभी प्रकरण (परिवार न्यायालय सागर के अंतर्गत आने वाले प्रकरणों को छोड़कर)</p> <p>13. हिन्दू अप्राप्तावय एवं संरक्षकता अधिनियम, 1956 के अधीन उत्पन्न कार्यवाहियाँ।</p> <p>14. विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के अधीन उत्पन्न कार्यवाहियाँ।</p> <p>15. हिन्दू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम, 1956 के अधीन उत्पन्न कार्यवाहियाँ।</p> <p>16. तहसील रहली एवं गढ़कोटा से संबंधित उत्तराधिकार अधिनियम, के तहत उत्पन्न अपील प्रकरण</p> <p>17. संरक्षकता एवं प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 से संबंधित प्रकरण</p> <p>18. भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम, 1869 के अंतर्गत समस्त प्रकरण (परिवार न्यायालय सागर के क्षेत्राधिकार से संबंधित प्रकरणों को छोड़कर)</p> <p>19. दिवाला अधिनियम, के अंतर्गत रुपये 1,00,00,000/- अंकन एक करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के प्रकरण</p> <p>20. भू-अर्जन के अंतर्गत सभी मामले एवं भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 64 के अधीन आवेदन / निर्देश।</p>
25.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड सागर श्री कृष्ण पाल सिंह	जिला मुख्यालय सागर	<p>1. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सागर द्वारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण</p> <p>2. न्यायालय थष्टम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड सागर के न्यायालय द्वारा निर्णीतशुद्धा प्रकरणों से उत्पन्न होने वाली विविध एवं निष्पादन कार्यवाहियाँ (न्यायालय रिक्त / अवकाश पर रहने तक)</p>

26.	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड सागर/ न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय सागर श्री प्रीतम बंसल	जिला मुख्यालय सागर	<ol style="list-style-type: none"> प्रधान प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सागर एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सागर द्वारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण ऐसे सिविल वाद प्रकरण जिनका मूल्यांकन 75,00,001/- अंकन पचहत्तर लाख एक रुपये से 100,00,000/- अंकन एक करोड़ रुपये तक का हो एवं उनसे उत्पन्न होने वाली विविध एवं निष्पादन कार्यवाहियाँ ग्राम न्यायालय सागर से संबंधित समस्त प्रकरण भारतीय उत्तासाधिकार अधिनियम, के भाग 10 के अंतर्गत प्रकरण दिवालिया अधिनियम, के अंतर्गत ऐसे प्रकरण जिनका मूल्यांकन 5,00,001/- अंकन पांच लाख एक रुपये से 1,00,00,000/- अंकन एक करोड़ रुपये तक हो।
27.	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड सागर श्रीमति नेहा बंसल	जिला मुख्यालय सागर	<ol style="list-style-type: none"> प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सागर द्वारा समय—समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण
28.	चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड सागर श्रीमति मीनू पचौरी दुबे	जिला मुख्यालय सागर	<ol style="list-style-type: none"> प्रधान प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सागर एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सागर द्वारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण ऐसे सिविल वाद प्रकरण जिनका मूल्यांकन 5,00,001/- अंकन पांच लाख एक रुपये से 25,00,000/- अंकन पच्चीस लाख रुपये तक का हो एवं उनसे उत्पन्न होने वाली विविध एवं निष्पादन कार्यवाहियाँ
29.	पंचम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड सागर श्री आशीष शर्मा	जिला मुख्यालय सागर	<ol style="list-style-type: none"> प्रधान प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सागर एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सागर द्वारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण ऐसे सिविल वाद प्रकरण जिनका मूल्यांकन 25,00,001/- अंकन पच्चीस लाख एक रुपये से 50,00,000/- अंकन पचास लाख रुपये तक का हो एवं उनसे उत्पन्न होने वाली विविध एवं निष्पादन कार्यवाहियाँ
30.	प्रधान न्यायाधीश किशोर न्याय बोर्ड सागर	सत्र खण्ड सागर	<ol style="list-style-type: none"> किशोर न्यायालय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम, 2015) से संबंधित मामले एवं विविध कार्यवाहियाँ
31.	षष्ठम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड सागर श्रीमति उर्मिला खेडकर	जिला मुख्यालय सागर	<ol style="list-style-type: none"> प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सागर द्वारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण ऐसे सिविल वाद प्रकरण जिनका मूल्यांकन 60,00,001/- अंकन साठ लाख एक रुपये से 1,00,00,000/- अंकन एक करोड़ रुपये तक का हो एवं उनसे उत्पन्न होने वाली विविध एवं निष्पादन कार्यवाहियाँ न्यायालय पंचम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड सागर द्वारा निराकृत प्रकरणों से उत्पन्न होने वाली विविध एवं निष्पादन कार्यवाहियाँ

			<p>4. चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड एवं द्वितीय अंतरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड सागर के न्यायालय से संबंधित निर्णय एवं आदेशों से उत्पन्न विविध एवं निष्पादन कार्यवाहिया</p>
32.	सप्तम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड सागर श्री अकित श्रीवास्तव	जिला मुख्यालय सागर	<p>1. प्रधान प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सागर एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सागर द्वारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण</p> <p>2. ऐसे सिविल याद प्रकरण जिनका मूल्यांकन 50,00,001/- अंकन पचास लाख एक रुपये से 75,00,000/- अंकन पचहत्तार लाख रुपये तक का हो एवं उनसे उत्पन्न होने वाली विविध एवं निष्पादन कार्यवाहियाँ।</p> <p>3. व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड के क्षेत्राधिकार से संबंधित ऐसी समस्त कार्यवाहिया जिनके लिये किसी भी अन्य व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड के लिये अधिकृत ना किया गया हो।</p> <p>4. पूर्व में पदस्थ रहे समस्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड सागर द्वारा निराकृत प्रकरणों से उत्पन्न होने वाली विविध एवं निष्पादन कार्यवाहिया जिनके लिये अन्य किसी व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड को अधिकृत ना किया गया हो।</p>
33.	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड सागर सुश्री शिखा चतुर्वेदी	जिला मुख्यालय सागर	<p>1. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सागर द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण</p>
34.	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड सागर सुश्री पूजा अहिरवार	जिला मुख्यालय सागर	<p>1. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सागर द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण</p> <p>2. माह अप्रैल-मई 2024 में प्रस्तुत होने वाले रुपये 1/- अंकन एक रुपये से रुपये 5,00,000/- अंकन पांच लाख रुपये तक के सिविल प्रकरण एवं उनसे उत्पन्न होने वाली विविध एवं निष्पादन कार्यवाहियाँ।</p> <p>3. ऐसी सिविल कार्यवाहिया जिनके विचारण हेतु अन्य किसी व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड के लिये अधिकृत ना किया गया हो।</p>
35.	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड सागर श्री विजितश्व पुष्कर	जिला मुख्यालय सागर	<p>1. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सागर द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण</p> <p>2. माह जून-जुलाई 2024 में प्रस्तुत होने वाले रुपये 1/- अंकन एक रुपये से रुपये 5,00,000/- अंकन पांच लाख रुपये तक के सिविल प्रकरण एवं उनसे उत्पन्न होने वाली विविध एवं निष्पादन कार्यवाहियाँ।</p>
36.	पंचम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड सागर श्री राहुल सोनी	जिला मुख्यालय सागर	<p>1. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सागर द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण</p> <p>2. माह अगस्त 2024 में प्रस्तुत होने वाले रुपये 1/- अंकन एक रुपये से रुपये 5,00,000/- अंकन पांच लाख रुपये तक के सिविल</p>

			प्रकरण एवं उनसे उत्पन्न होने वाली विविध एवं निष्पादन कार्यवाहियां
37.	षष्ठम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड सागर श्री विनय सिंह राजपूत	जिला मुख्यालय सागर	<p>1. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सागर द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण</p> <p>2. माह सितम्बर 2024 में प्रस्तुत होने वाले रूपये 1/- अंकन एक रूपये से रूपये 5,00,000/- अंकन पांच लाख रूपये तक के सिविल प्रकरण एवं उनसे उत्पन्न होने वाली विविध एवं निष्पादन कार्यवाहियां</p> <p>3. समस्त रिक्त प्रशिक्षु व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड सागर के न्यायालय के निर्णीतशुदा प्रकरणों से उत्पन्न विविध एवं निष्पादन कार्यवाहियां</p>
38.	सप्तम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड सागर सुश्री प्रीति ठाकुर	जिला मुख्यालय सागर	<p>1. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सागर द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण</p>
39.	अष्टम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड सागर सुश्री दीक्षा अग्रवाल	जिला मुख्यालय सागर	<p>1. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सागर द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण</p> <p>2. माह अक्टूबर 2024 में प्रस्तुत होने वाले रूपये 1/- अंकन एक रूपये से रूपये 5,00,000/- अंकन पांच लाख रूपये तक के सिविल प्रकरण एवं उनसे उत्पन्न होने वाली विविध एवं निष्पादन कार्यवाहियां</p> <p>3. मूरिलम विधि के अंतर्गत विवाह विच्छेद एवं वैदाहिक पुर्नस्थापना से सबैथित प्रस्तुत होने वाली यांचिकाये एवं वाद पत्र।</p>
40.	नवम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड सागर सुश्री सुरभि सिंह सुमन	जिला मुख्यालय सागर	<p>1. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सागर द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण</p> <p>2. म०७० लोक न्यास अधिनियम के अंतर्गत ऐसे सिविल प्रकरण जिनका मूल्यांकन 5,00,000/- अंकन पांच लाख रूपये तक का हो।</p> <p>3. भारतीय दिवालिया अधिनियम के अंतर्गत ऐसे प्रकरण जिनका मूल्यांकन 5,00,000/- अंकन पांच लाख रूपये तक का हो।</p> <p>4. लघुयाद प्रकरण रूपये 200/- अंकन दो सौ रूपये तक मूल्यांकन के प्रकरण</p> <p>5. माह नवम्बर 2024 में प्रस्तुत होने वाले रूपये 1/- अंकन एक रूपये से रूपये 5,00,000/- अंकन पांच लाख रूपये तक के सिविल प्रकरण एवं उनसे उत्पन्न होने वाली विविध एवं निष्पादन कार्यवाहियां</p>
41.	दशम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड सागर सुश्री रीना शर्मा	जिला मुख्यालय सागर	<p>1. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सागर द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण</p> <p>2. समस्त रिक्त व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड सागर के निर्णय एवं आदेशों से उत्पन्न विविध एवं निष्पादन कार्यवाहियां।</p> <p>3. माह दिसम्बर 2024 एवं जनवरी 2025 में प्रस्तुत होने वाले रूपये 1/- अंकन एक रूपये से रूपये</p>

			5,00,000/- अंकन पांच लाख रुपये तक के सिविल प्रकरण एवं उनसे उत्पन्न होने वाली विविध एवं निष्पादन कार्यवाहिया)
42.	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड सागर के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश सागर श्री रोहित शर्मा	जिला मुख्यालय सागर	<ol style="list-style-type: none"> प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सागर द्वारा रामय-समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण माह फरवरी-मार्च 2025 में प्रस्तुत होने वाले रुपये 1/- अंकन एक रुपये से रुपये 5,00,000/- अंकन पांच लाख रुपये तक के सिविल प्रकरण एवं उनसे उत्पन्न होने वाली विविध एवं निष्पादन कार्यवाहिया
43.	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड बण्डा श्रीमति प्रिया गुप्ता	तहसील मुख्यालय बण्डा	<ol style="list-style-type: none"> प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सागर द्वारा रामय-समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण
44.	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड बण्डा एवं श्रृंखला न्यायालय शाहगढ़ श्री आशीष कुमार मधोरिया	तहसील मुख्यालय बण्डा एवं शाहगढ़	<ol style="list-style-type: none"> प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सागर द्वारा रामय-समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण तहसील बण्डा से संबंधित ऐसे सिविल बाद प्रकरण जिनका मूल्यांकन 5,00,001/- अंकन पांच लाख एक रुपये से 1,00,000.00/- अंकन एक करोड़ रुपये तक के सिविल प्रकरण एवं उनसे उत्पन्न होने वाली विविध एवं निष्पादन कार्यवाहिया तहसील शाहगढ़ से संबंधित 1/- अंकन एक रुपये से 1,00,000.00/- अंकन एक करोड़ रुपये तक के सिविल प्रकरण एवं उनसे उत्पन्न होने वाली विविध एवं निष्पादन कार्यवाहिया पूर्व में पदस्थ रहे ऐसे समस्त न्यायालय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड बण्डा/श्रृंखला न्यायालय शाहगढ़ के न्यायालय, जो कि वर्तमान में कार्यरत नहीं हैं, द्वारा निराकृत प्रकरणों से उत्पन्न समस्त कार्यवाहिया भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 के भाग 10 के अंतर्गत प्रकरण। तहसील बण्डा से संबंधित भारतीय दिवालिया अधिनियम के अंतर्गत ऐसे प्रकरण जिनका मूल्यांकन 5,00,001/- अंकन पांच लाख एक रुपये से 1,00,000.00/- अंकन एक करोड़ रुपये तक का हो। तहसील शाहगढ़ से संबंधित भारतीय दिवालिया अधिनियम के अंतर्गत ऐसे सिविल प्रकरण जिनका मूल्यांकन रुपये 01/-एक रुपये से 1,00,000.00/- अंकन एक करोड़ रुपये तक का हो। म0प्र0 नगर पालिका अधिनियम, 1961 की धारा 172 के अंतर्गत अपील प्रकरण लघुवाद प्रकरण रुपये 201/- अंकन दो सौ एक रुपये से रुपये 500/- अंकन पांच

			<p>सी रूपये के मूल्यांकन के</p> <p>10. तहसील शाहगढ़ से संबंधित मुस्लिम विधि के अंतर्गत विवाह विच्छेद एवं वैवाहिक पुनर्स्थापना से संबंधित प्रस्तुत होने वाली याचिकायें एवं बाद पत्र।</p> <p>11. तहसील शाहगढ़ से संबंधित लघुवाद प्रकरण रूपये 200/- अंकन दो सी रूपये तक के मूल्यांकन के प्रकरण</p> <p>12. तहसील शाहगढ़ से संबंधित म0प्र0 लोक न्यास अधिनियम, के अंतर्गत ऐसे सिविल प्रकरण जिनका मूल्यांकन 5,00,000/- अंकन पांच लाख रूपये तक का हो।</p> <p>13. श्रृंखला न्यायालय शाहगढ़ से संबंधित समस्त प्रकार के प्रकरण जो कि व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड/कनिष्ठ खण्ड के सुनवाई योग्य हो व कार्यविभाजन पत्रक में उल्लिखित न हों।</p> <p>14. नोट— श्रृंखला न्यायालय अधिकारी उपरांत प्रकरणों का संस्थापन नियमित न्यायालय में होगा।</p>
45.	व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड बण्डा सुश्री संज्ञा मुदगल	तहसील मुख्यालय बण्डा	<p>1. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सामर द्वारा समय—समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण।</p> <p>2. तहसील बण्डा से संबंधित 1/- अंकन एक रूपये से 5,00,000/- अंकन पांच लाख रूपये तक के सिविल प्रकरण एवं उनसे उत्पन्न होने वाली विविध एवं निष्पादन कार्यवाहियाँ।</p> <p>3. तहसील बण्डा से संबंधित मुस्लिम विधि के अंतर्गत विवाह विच्छेद एवं वैवाहिक पुनर्स्थापना से संबंधित प्रस्तुत होने वाली याचिकायें एवं बाद पत्र।</p> <p>4. लघुवाद प्रकरण रूपये 200/- अंकन दो सी रूपये तक के मूल्यांकन के प्रकरण</p> <p>5. दिवालिया अधिनियम, के अंतर्गत ऐसे सिविल प्रकरण जिनका मूल्यांकन 5,00,000/- अंकन पांच लाख रूपये तक का हो।</p> <p>6. म0प्र0 लोक न्यास अधिनियम, के अंतर्गत ऐसे सिविल प्रकरण जिनका मूल्यांकन 5,00,000/- अंकन पांच लाख रूपये तक का हो।</p> <p>7. पूर्व मे पदस्थ रहे व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड बण्डा के न्यायालय जो कि वर्तमान मे कार्यरत नहीं हैं, द्वारा निराकृत प्रकरणों से उत्पन्न समस्त कार्यवाहियाँ।</p> <p>8. तहसील बण्डा से संबंधित समस्त प्रकार के प्रकरण जो कि व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड के सुनवाई योग्य हो व कार्यविभाजन पत्रक में उल्लिखित न हों।</p>
46.	व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड बीना	तहसील मुख्यालय	<p>1. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सामर द्वारा समय—समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण।</p>

	श्रीमति गीनाली शर्मा जोशी	बीना	<p>2. ऐसे सिविल बाद प्रकरण जिनका मूल्यांकन 01/- अंकन एक रुपये से 50,00,000/- अंकन पचास लाख रुपये तक का हो एवं उनसे उत्पन्न होने वाली विविध एवं निष्पादन कार्यवाहियाँ</p> <p>3. तहसील मुख्यालय बीना में पूर्व पदस्थ (रिक्त न्यायालय) व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड / वरिष्ठ खण्ड बीना के न्यायालय से उत्पन्न होने वाली समस्त विविध एवं निष्पादन कार्यवाहियाँ।</p> <p>4. लघुबाद प्रकरण रुपये 200/- अंकन दो सौ रुपये तक के मूल्यांकन के प्रकरण</p> <p>5. तहसील बीना से सबधित मुस्लिम विधि के अंतर्गत विवाह विच्छेद एवं वैवाहिक पुर्नस्थापना से सबधित प्रस्तुत होने वाली याचिकायें एवं बाद पत्र।</p> <p>6. म0प्र० लोक न्यास अधिनियम के अंतर्गत ऐसे सिविल प्रकरण जिनका मूल्यांकन 5,00,000/- अंकन पांच लाख रुपये तक का हो।</p>
47.	व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड के अतिरिक्त न्यायाधीश बीना श्री शरद जोशी	तहसील मुख्यालय बीना	<p>1. प्रधान जिला एवं सब न्यायाधीश सागर द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण।</p> <p>2. ऐसे सिविल बाद प्रकरण जिनका मूल्यांकन 50,00,001/- अंकन पचास लाख एक रुपये से 1,00,00,000/- अंकन एक करोड़ रुपये तक का हो एवं उनसे उत्पन्न होने वाली विविध एवं निष्पादन कार्यवाहियाँ</p> <p>3. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के भाग 10 के अंतर्गत प्रकरण</p> <p>4. भारतीय दिवालिया अधिनियम के अंतर्गत ऐसे प्रकरण जिनका मूल्यांकन 5,00,001/- अंकन पांच लाख एक रुपये से 1,00,000.00/- अंकन एक करोड़ रुपये तक का हो</p> <p>5. म0प्र० नगर पालिका अधिनियम, 1961 की घारा 172 के अंतर्गत अपील प्रकरण</p> <p>6. लघुबाद प्रकरण रुपये 201/- अंकन दो सौ एक रुपये से रुपये 500/- अंकन पांच सौ रुपये के मूल्यांकन के</p> <p>7. व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड / कनिष्ठ खण्ड बीना द्वारा विचारणीय ऐसे प्रकरण जिनके लिये अन्य किसी व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड के लिये अधिकृत ना किया गया हो।</p> <p>8. दिवालिया अधिनियम के अंतर्गत ऐसे सिविल प्रकरण जिनका मूल्यांकन 5,00,000/- अंकन पांच लाख रुपये तक का हो।</p>
48.	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड बीना	तहसील मुख्यालय बीना	रिक्त न्यायालय

49.	<p>व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड देवरी सुश्री निकिता चौहान</p>	<p>तहसील मुख्यालय देवरी</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सागर द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण। 2. तहसील देवरी एवं केसली से संबंधित ऐसे सिविल वाद प्रकरण जिनका मूल्यांकन 5,00,001/- अंकन पांच लाख एक रुपये से 1,00,000,00/- अंकन एक करोड़ रुपये तक का हो एवं उनसे उत्पन्न होने वाली विविध एवं निष्पादन कार्यवाहियाँ। 3. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के भाग 10 के अंतर्गत प्रकरण 4. भारतीय दिवालिया अधिनियम के अंतर्गत ऐसे प्रकरण जिनका मूल्यांकन 5,00,001/- अंकन पांच लाख एक रुपये से 1,00,000,00/- अंकन एक करोड़ रुपये तक का हो। 5. मठग्र0 नगर पालिका अधिनियम, 1961 की घारा 172 के अंतर्गत अपील प्रकरण 6. लघुवाद प्रकरण रुपये 201/- अंकन दो सौ एक रुपये से रुपये 500/- अंकन पांच सौ रुपये के मूल्यांकन के 7. व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड देवरी द्वारा विचाराणीय ऐसे प्रकरण जिनके लिये अन्य किसी व्यवहार न्यायाधीश वर्ग के लिये अधिकृत ना किया गया हो।
50.	<p>व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड देवरी के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश देवरी श्री मनोरम तिवारी</p>	<p>तहसील मुख्यालय देवरी</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सागर द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण। 2. तहसील देवरी से संबंधित ऐसे सिविल वाद प्रकरण जिनका मूल्यांकन 1/- एक रुपये से 2,50,000/- अंकन दो लाख पचास हजार रुपये तक का हो एवं उनसे उत्पन्न होने वाली विविध एवं निष्पादन कार्यवाहियाँ। 3. तहसील देवरी से संबंधित मुस्लिम विधि के अंतर्गत विवाह विच्छेद एवं वैवाहिक पूर्नस्थापना से संबंधित प्रस्तुत होने वाली याचिकाये एवं वाद पत्र।
51.	<p>व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड देवरी श्री दीपू शाक्य</p>	<p>तहसील मुख्यालय देवरी</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सागर द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण। 2. तहसील देवरी ऐसे सिविल वाद प्रकरण जिनका मूल्यांकन 2,50,001/- दो लाख पचास हजार एक रुपये से 5,00,000/- अंकन पांच लाख रुपये तक का हो एवं उनसे उत्पन्न होने वाली विविध एवं निष्पादन कार्यवाहियाँ। 3. लघुवाद प्रकरण रुपये 200/- अंकन दो सौ रुपये तक के मूल्यांकन के प्रकरण 4. व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड द्वारा विचाराणीय ऐसे प्रकरण जिनके लिये अन्य किसी व्यवहार न्यायाधीश वर्ग के लिये अधिकृत ना किया गया हो।

52.	व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड केसली श्री सत्यम देवलिया	तहसील मुख्यालय केसली	<ol style="list-style-type: none"> प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सामर द्वारा समय—समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण। रुपये 1/- अंकन एक रुपये से रुपये 5,00,000/- अंकन पांच लाख रुपये तक के सिविल प्रकरण एवं उनसे उत्पन्न होने वाली विविध एवं निष्पादन कार्यवाहियाँ। लघुवाद प्रकरण रुपये 200/- अंकन दो सौ रुपये तक के मूल्यांकन के प्रकरण। पूर्व में पदस्थ रहे समस्त व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड केसली (श्रृंखला न्यायालय सहित), जो कि वर्तमान में कार्यरत नहीं हैं, द्वारा निराकृत प्रकरणों से उत्पन्न समस्त विविध एवं निष्पादन कार्यवाहियाँ। तहसील केसली से संबंधित मुरिलग विधि के अंतर्गत विवाह विच्छेद एवं वैवाहिक पुर्णस्थापना से संबंधित प्रस्तुत होने वाली याचिकाये एवं वाद पत्र। म0प्र० लोक न्यास अधिनियम, के अंतर्गत ऐसे सिविल प्रकरण जिनका मूल्यांकन 5,00,000/- अंकन पांच लाख रुपये तक का हो। दिवालिया अधिनियम, के अंतर्गत ऐसे सिविल प्रकरण जिनका मूल्यांकन 5,00,000/- अंकन पांच लाख रुपये तक का हो।
53.	व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड रहली श्री सतीश शर्मा	तहसील मुख्यालय रहली	<ol style="list-style-type: none"> प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सामर द्वारा समय—समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण। तहसील रहली एवं गढ़कोटा से संबंधित ऐसे सिविल वाद प्रकरण जिनका मूल्यांकन 5,00,001/- अंकन पांच लाख एक रुपये से 1,00,000.00/- अंकन एक करोड़ रुपये तक का हो एवं उनसे उत्पन्न होने वाली विविध एवं निष्पादन कार्यवाहियाँ। भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, के भाग 10 के अंतर्गत प्रकरण भारतीय दिवालिया अधिनियम, के अंतर्गत ऐसे प्रकरण जिनका मूल्यांकन 5,00,001/- अंकन पांच लाख एक रुपये से 1,00,000.00/- अंकन एक करोड़ रुपये तक का हो। म0प्र० नगर पालिका अधिनियम, 1961 की धारा 172 के अंतर्गत अपील प्रकरण लघुवाद प्रकरण रुपये 201/- अंकन दो सौ एक रुपये से रुपये 500/- अंकन पांच सौ रुपये के मूल्यांकन के व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड द्वारा विचारणीय ऐसे प्रकरण जिनके लिये अन्य किसी व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड के लिये अधिकृत ना किया गया हो। पूर्व में पदस्थ रहे समस्त व्यवहार न्यायाधीश

			वरिष्ठ खण्ड के न्यायालय से उत्पन्न समस्त कार्यवाहियाँ।
54.	व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रहली श्री नितिन वर्मा	तहसील मुख्यालय रहली	<p>प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सागर द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण।</p> <p>तहसील रहली से संबंधित रूपये 1/- अंकन एक रूपये से रूपये 5,00,000/- अंकन पांच लाख रूपये तक के सिविल प्रकरण एवं उनसे उत्पन्न होने वाली विविध एवं निष्पादन कार्यवाहियाँ।</p> <p>लघुवाद प्रकरण रूपये 200/- अंकन दो सौ रूपये तक के मूल्यांकन के प्रकरण</p> <p>म०प्र० लोक न्यास अधिनियम के अंतर्गत रूपये 1/- अंकन एक रूपये से लेकर रूपये 5,00,000/- अंकन पांच लाख रूपये तक के प्रकरण</p> <p>भारतीय दिवालिया अधिनियम के अंतर्गत ऐसे प्रकरण जिनका मूल्यांकन 1/- अंकन एक रूपये से 5,00,000/- अंकन पांच लाख रूपये तक का हो।</p> <p>तहसील रहली से संबंधित मुस्लिम विधि के अंतर्गत विवाह विच्छेद एवं वैवाहिक पुर्नस्थापना से संबंधित प्रस्तुत होने वाली याचिकायें एवं वाद पत्र।</p> <p>पूर्व में पदस्थ रहे समस्त व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड के न्यायालय से उत्पन्न समस्त कार्यवाहियाँ।</p>
55.	व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड गढ़कोटा सुश्री सोनल जादोन	तहसील मुख्यालय गढ़कोटा	<p>प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सागर द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण।</p> <p>ऐसे सिविल वाद प्रकरण जिनका मूल्यांकन 1/- एक रूपये से 2,50,000/- अंकन दो लाख पचास हजार रूपये तक का हो एवं उनसे उत्पन्न होने वाली विविध एवं निष्पादन कार्यवाहियाँ।</p> <p>व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड गढ़कोटा द्वारा निराकृत सिविल प्रकरणों से उत्पन्न विविध एवं निष्पादन कार्यवाहियाँ।</p> <p>म०प्र० लोक न्यास अधिनियम के अंतर्गत रूपये 1/- अंकन एक रूपये से लेकर रूपये 5,00,000/- अंकन पांच लाख रूपये तक के प्रकरण</p> <p>भारतीय दिवालिया अधिनियम के अंतर्गत ऐसे प्रकरण जिनका मूल्यांकन 1/- अंकन एक रूपये से 5,00,000/- अंकन पांच लाख रूपये तक का हो।</p> <p>तहसील गढ़कोटा से संबंधित मुस्लिम विधि के अंतर्गत विवाह विच्छेद एवं वैवाहिक पुर्नस्थापना से संबंधित प्रस्तुत होने वाली याचिकायें एवं वाद</p>

			<p>पत्र।</p> <p>7. लघुवाद प्रकरण रूपये 200/- अंकन दो सौ रुपये तक के मूल्यांकन के प्रकरण</p>
56.	अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड गढ़ाकोटा श्री अम्बर श्रीवास्तव	तहसील मुख्यालय गढ़ाकोटा	<p>1. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सागर द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण।</p> <p>2. ऐसे सिविल वाद प्रकरण जिनका मूल्यांकन 2,50,001/- दो लाख पचास हजार एक रुपये से 5,00,000/- अंकन पांच लाख रुपये तक का हो एवं उनसे उत्पन्न होने वाली विविध एवं निष्पादन कार्यवाहियाँ</p>
57.	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड खुरई के न्यायालय के अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड खुरई/न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय खुरई श्रीमति रुचिता गुर्जर	तहसील मुख्यालय खुरई	<p>1. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सागर द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण।</p> <p>2. तहसील खुरई से उत्पन्न ऐसे सिविल वाद प्रकरण जिनका मूल्यांकन 25,00,001/- अंकन पच्चीस लाख एक रुपये से 50,00,000/- अंकन पचास लाख रुपये तक का हो एवं उनसे उत्पन्न होने वाली विविध एवं निष्पादन कार्यवाहियाँ</p> <p>3. ग्राम न्यायालय अधिनियम, से संबंधित प्रकरण तहसील खुरई</p> <p>4. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, के भाग 10 के अंतर्गत प्रकरण</p> <p>5. भारतीय दिवालिया अधिनियम, के अंतर्गत ऐसे प्रकरण जिनका मूल्यांकन 5,00,001/- अंकन पांच लाख एक रुपये से 1,00,00,000/- अंकन एक करोड़ रुपये तक का हो</p> <p>6. म0प्र0 नगर पालिका अधिनियम, 1961 की घारा 172 के अंतर्गत आपील प्रकरण</p> <p>7. लघुवाद प्रकरण रूपये 201/- अंकन दो सौ एक रुपये से रुपये 500/- अंकन पांच सौ रुपये के मूल्यांकन तक का हो</p>
58.	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड खुरई व श्रृंखला न्यायालय मालथीन श्री सचेन्द्र कुमार भद्रकारिया	तहसील मुख्यालय खुरई मालथीन	<p>1. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सागर द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण।</p> <p>2. तहसील खुरई से संबंधित ऐसे सिविल वाद प्रकरण जिनका मूल्यांकन 50,00,001/- अंकन पचास लाख एक रुपये से 1,00,00,000/- अंकन एक करोड़ रुपये तक का हो एवं उनसे उत्पन्न होने वाली विविध एवं निष्पादन कार्यवाहियाँ</p> <p>3. तहसील मालथीन से संबंधित ऐसे सिविल वाद प्रकरण जिनका मूल्यांकन 1/- एक रुपये से 1,00,00,000/- अंकन एक करोड़ रुपये तक का हो एवं उनसे उत्पन्न होने वाली विविध एवं निष्पादन कार्यवाहियाँ</p> <p>4. तहसील मालथीन से संबंधित मुस्लिम विधि के अंतर्गत विवाह विच्छेद एवं वैवाहिक पुर्नस्थापना से संबंधित प्रस्तुत होने वाली याचिकायें एवं वाद पत्र।</p> <p>5. श्रृंखला न्यायालय मालथीन से संबंधित समस्त प्रकार के प्रकरण जो कि व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ</p>

			<p>खण्ड / कनिष्ठ खण्ड के सुनवाई योग्य हों व कार्यविभाजन पत्रक में उल्लिखित न हो।</p> <p>6. श्रृंखला न्यायालय मालखीन द्वारा निराकृत प्रकरणों से उत्पन्न विविध एवं निष्पादन कार्यवाहियाँ</p>
59.	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड खुरई सीम्या विजयवर्गीय	तहसील मुख्यालय खुरई	<p>1. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सागर द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण।</p> <p>2. तहसील खुरई से उत्पन्न ऐसे सिविल वाद प्रकरण जिनका मूल्यांकन 5,00,001/- अंकन पांच लाख एक रुपये से 25,00,000/- अंकन पच्चीस लाख रुपये तक का हो एवं उनसे उत्पन्न होने वाली विविध एवं निष्पादन कार्यवाहियाँ</p> <p>3. तहसील खुरई में पूर्व में पदरथ रहे समस्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड खुरई द्वारा निराकृत प्रकरणों से उत्पन्न विविध एवं निष्पादन कार्यवाहियाँ</p>
60.	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड खुरई	तहसील मुख्यालय खुरई	रिक्त न्यायालय
61.	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड खुरई सुश्री श्रेया गक्खर	तहसील मुख्यालय खुरई	<p>1. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सागर द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण।</p> <p>2. लघुवाद प्रकरण रुपये 200/- अंकन दो सौ रुपये तक के मूल्यांकन के प्रकरण।</p> <p>3. ऐसे सिविल वाद प्रकरण जिनका मूल्यांकन 1/- एक रुपये से 5,00,000/- अंकन पांच लाख रुपये तक का हो एवं उनसे उत्पन्न होने वाली विविध एवं निष्पादन कार्यवाहियाँ</p> <p>4. तहसील खुरई से संबंधित मुस्लिम विधि के अंतर्गत विवाह विवेद एवं वैवाहिक पुर्नस्थापना से संबंधित प्रस्तुत होने वाली याचिकायें एवं वाद पत्र।</p> <p>5. तहसील खुरई में समस्त रिक्त व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड खुरई द्वारा निराकृत प्रकरणों से उत्पन्न विविध एवं निष्पादन कार्यवाहियाँ</p>

नोट-

- पंजीयन अनुभाग में पंजीयन उपरांत संबंधित प्रकरण, इस कार्य विभाजन के आदेशानुसार संबंधित न्यायालय को स्वमेव अंतरित माना जावेगा।
- इस कार्य विभाजन पत्रक का पूर्व से लंबित दावे के अवणाधिकार के संबंध में कोई प्रभाव नहीं पढ़ेगा अर्थात् उक्त मामले यथावत् जिस न्यायालय में लंबित हैं, उसी न्यायालय में ही विचारित किये जावेंगे।
- इस कार्य विभाजन पत्रक का न्यायाधीशों के वरिष्ठता कम पर कोई प्रभाव नहीं होगा।
- समस्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड एवं कनिष्ठ खण्ड को कार्य विभाजन का क्षेत्राधिकार ग्राम न्यायालय के क्षेत्राधिकार को छोड़कर रहेगा।
- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के अवकाश पर रहने के दौरान प्रस्तुत होने वाले द्वितीय एवं पश्चात्वर्ती तथा सहअभियुक्त के नियमित एवं अग्रिम जमानत आवेदन पत्र संबंधित न्यायालय, जिसने पूर्ववर्ती जमानत आवेदन पत्र का निराकरण किया था, के न्यायालय में प्रस्तुत होंगे और उन्हीं के न्यायालय में अंतरित किये गये समझे जायेंगे और उन्हीं के द्वारा

सुने जाकर अंतिम रूप से निराकृत किये जायेंगे।

6. न्यायालय प्रथम जिला न्यायाधीश सागर के न्यायालय द्वारा निर्णीतशुदा सिविल एवं आपराधिक प्रकरणों से उत्पन्न होने वाली विविध, निष्पादन एवं कलेम राशि भुगतान संबंधी कार्यवाहियां (विशेष प्रकरण अंतर्गत भाष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 को छोड़कर) न्यायालय प्रथम जिला न्यायाधीश के तृतीय अंतिम जिला न्यायाधीश, सागर के न्यायालय में संपादित होंगी।
7. न्यायालय तृतीय जिला न्यायाधीश सागर के न्यायालय द्वारा निर्णीतशुदा प्रकरणों से (विशेष प्रकरण पॉक्सो एकट को छोड़कर) उत्पन्न होने वाली विविध, निष्पादन एवं कलेम राशि भुगतान संबंधी कार्यवाहियां न्यायालय अष्टम जिला न्यायाधीश सागर के न्यायालय में संस्थापित होकर निराकृत की जायेंगी।
8. न्यायालय नवम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश सागर के न्यायालय द्वारा निर्णीतशुदा प्रकरणों से (विशेष प्रकरण पॉक्सो एकट को छोड़कर) उत्पन्न होने वाली विविध, निष्पादन एवं कलेम राशि भुगतान संबंधी कार्यवाहियां न्यायालय अष्टम जिला न्यायाधीश सागर के न्यायालय में संस्थापित होकर निराकृत की जायेंगी।
9. फास्ट ट्रैक न्यायालय सागर एवं ऐसे जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के न्यायालय एवं प्रशिक्षण जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के न्यायालय, जो कि पूर्व में कार्यरत थे, के न्यायालय से संबंधित समस्त निराकृत सिविल कार्य, सत्र प्रकरण, अपीलें, पुनरीक्षण एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा समय-समय पर निराकृत होकर प्राप्त होने वाले प्रकरणों में पारित आदेशों का पालन एवं अग्रिम कार्यवाही विशेष न्यायाधीश विद्युत अधिनियम कमांक 10 सागर के द्वारा संपादित होकर निराकृत की जायेगी।
10. संपूर्ण जिला स्थापना सागर पर यदि कोई न्यायालय रिक्त होता है और उस रिक्त न्यायालय का प्रभार किसी अन्य न्यायालय को कार्यविभाजन पत्रक में नहीं दिया गया है, तो उक्त रिक्त न्यायालय का प्रभार उसी स्तर के (जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश / व्यवहार न्यायाधीश विशेष खण्ड / कनिष्ठ खण्ड) उपरिषित विशेष न्यायाधीश (विशेष न्यायालय एस.सी./एस.टी. एकट सागर को छोड़कर) के न्यायालय को होगा।

(महेश कुमार शर्मा)

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, 10/04/2024
सागर (म.प्र.)

१५८७

पृष्ठाकान्न कमांक (एक-दो-01)07

सागर दिनांक: 10/04/2024

प्रतिलिपि:-

1. रजिस्ट्रार जनरल उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर।
2. समस्त न्यायालय, जिला स्थापना सागर।
3. अध्यक्ष, अभिभाषक संघ सागर/बण्डा/बीना/देवरी/केसली/खुरई/मालथीन/शाहगढ़/रहली/गढ़कोटा।
4. केन्द्रीय पंजीयन अनुभाग, जिला न्यायालय सागर।
5. निष्पादन लिपिक/प्रस्तुतकार प्रधान जिला न्यायाधीश, सागर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ अग्रिम।
6. जूनियर सिस्टम एनोलिस्ट, सागर की ओर संबंधितों की ओर ईमेल करने एवं ई-कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित।

(महेश कुमार शर्मा)

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
सागर (म.प्र.)